फर्द अहकाम

गुन्नाराम बनाम राजस्थान सरकार

ना पत्र संख्याः 278/24

क	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
9.2024	प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बावत 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया बहस प्रार्थी की प्रार्थना पत्र में सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि मैं सीताराम मीना, भगवान सहाय मीना, राधेश्याम मीना, सतीश चन्द मीणा, पुत्रान् श्री गुन्नाराम मीना व नारायणी देवी पत्नी गुन्नाराम मीना, जाति मीना, पता– ग्राम पोस्ट बीलवा, बोडिया की ढाणी, तहसील सांगनेर जयपुर के है हमारे राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी नया खाता संख्या 253 व 255 तथा खसरा न. 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, व 1999 स्थित ग्राम बीलवा कला, पटवार हल्का बीलवा कला, भू.अभि.नि. क्षेत्र गोनेर, तहसील सांगनेर जयपुर के राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी में पिता का नाम गुणा राम मीणा गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरे पिता का सही व वास्तविक नाम गुन्नाराम मीना है। उक्त जमाबन्दी में पता– मकान संख्या 30, कॉलोनी, बोडिया गली धनि क्षेत्र /स्थान बीलवा कंला शहर जयपुर अंकित है जो गलत है जबकि हमारा सही पता – ग्राम पोस्ट बीलवा, बोडिया की ढाणी, तहसील साांगनेर जयपुर है उक्त राजस्व रिकार्ड में पिता का गलत दर्ज नाम गुणा राम मीणा के स्थान पर गुन्नाराम मीना व गलल पता मकान संख्या 30, कॉलोनी, बोडिया गली धनि क्षेत्र / स्थान बीलवा कंला शहर जयपुर के स्थान पर सही पता– ग्राम पोस्ट बीलवा, बोडिया की ढाणी, तहसील सांगनेर जयपुर दर्ज करवाना चाहते है। अतः प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन है में मेरी जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में पिता का नाम व पता सही करवाने बाबत पेश कर रहे है श्रीमान जी से निवेदन है कि हम प्रार्थीगण के पिता का नाम व पता राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज करवाने का आदेश पारित करने की कृपा करे। आपकी अति कृपा होगी। संलग्न दस्तावेज :– रजिस्ट्री की कॉपी, जमाबंदी, आधार कार्ड। बहस प्रार्थीगण एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थी की ग्राम बीलवा कला, पटवार हल्का बीलवा कला, भू.अभि.नि. क्षेत्र गोनेर, तहसील सांगनेर जयपुर के नया खाता संख्या 253 व 255 तथा खसरा न. 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, व 1999 [illegible] रिकार्ड की जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता का नाम गुणा [illegible] मी[illegible] के स्थान पर गुन्नाराम मीना शुद्ध करने के [illegible] की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील [illegible] खिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.11 15:21:24 IST
Reason: SelfAttested